अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

जुलाई 2009 केवल सदस्यों के लिए मूल्य 3 रूपए

पंजाब आंगनवाड़ी कर्मचारियों का आंदोलन

अहिल्या ताई नहीं रहीं पर उनकी याद सदा बनी रहेगी

अहिल्या रांगनेकर गरीबों तथा दबे कुचले लोगों की नेत्री। ये लोग उन्हें स्नेह एवं श्रद्धा से अहिल्या ताई कह कर पुकारा करते थे। उन्होंने 19 अप्रैल 2009 को अपने ज़ीवन का अंतिम सांस लिया। वह उस समय मुम्बई के माटुंगा स्थित अपने निवास स्थान माहेश्वरी में थीं। अहिल्या ताई 87 वर्ष की थीं। बीसँ अप्रैल को ही उनका संस्कार किया किया गया जिसमें गरीब लोगों, मजदूरों, कर्मचारियों तथा समाज की दूसरी श्रेणियों के लोगों की अपार भीड़ ने शामिल होकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अहिल्या ताई कामरेड भालचन्द्र त्र्म्बक रणदिवे (बीटीआर) की छोटी बहन थीं। उनका जन्म 1922 में पुणे में हुआ। उनका परिवार बेहद सुशिक्षित और प्रगतिशील विचारों का था और वह स्वयं भी एक अत्यंत योग्य एवं मेधावी छात्रा रही थीं। वह अभी दस वर्ष की भी नहीं हुईं थीं कि उन्होंने राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया था। वह छोटी आयु में ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी थीं। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी तथा दूसरे राष्ट्रीय नेताओं को भी गिरफ्तार करके सरकार ने जेलों में बंद कर दिया था। याद रहे, इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई का जेल में रहते समय देहान्त हो गया था।

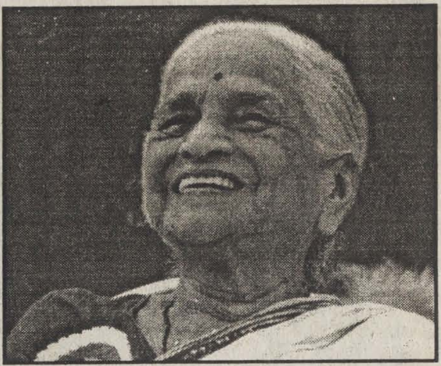

अहिल्या ताई बेहद साहसी महिला थीं, उनके इरादों में फौलादी दृढ़ता थीं। इसीलिए वह राजनीति के युवा कार्यकर्ताओं के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत बनी रहीं। उन्होंने इसका परिचय जेल में रहते समय भी दिया था जब जेल अधिकारियों के हुकुम की अवहेलना करके उन्होंने जेल कीं दीवार के साथ तिरंगा फहराया। अहिल्या ताई ने 1943 में कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और इसके साथ ही वह गिरनी कामगार यूनियन की कार्यकर्ता बन कर श्रमिक आंदोलन में भी भाग लेने लगीं। जब रॉयल इंडियन नेवी ने मुम्बई (उस समय बम्बई) में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करके आम हड़ताल की थी (जिसे ब्रिटिश इतिहासकार नाविकों का विद्रोह कहते हैं), उन्होंने अपने दूसरे साथियों के साथ मिल कर हड़ताली नाविकों को खाद्य सामग्री तथा दूसरी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने का काम किया था। जो भी हो, नाविकों की हड़ताल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक गौरवमयी पन्ना है। उनकी गतिविधियों का दायरा बहुत व्यापक था। उन्होंने सबसे पहले 1943 महिला संघ का गठन किया और इस तरह उन्होंने महिलाओं तथा कामकाजी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया। वर्ष 1950 में जब हिंदु कोड बिल लाया गया था तब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने उसका जोरदार विरोध किया था। उस समय अहिल्या ताई ने संघ के इरादों के खिलाफ चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व किया था।

अहिल्या ताई एक निर्भीक योद्धा थीं और उसके साथ ही एक स्नेहमयी साथी एवं सहयोगी भी; वह जन साधारण की सेवा के लिए सदा तत्पर रहती थीं। वह 1957 से लेकर 1977 तक निरंतर बीस वर्ष तक मुम्बई नगर निगम के लिए चुनी जाती रहीं। उसी साल अर्थात् 1977 में वह मुम्बई केन्द्रीय संसदीय क्षेत्र से लोक सभा के लिए चुनी गईं। उन्होंने 1972 में मृणाल गोरे के साथ मिल कर मुम्बई में महंगाई विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। पानी और बेहतर पालिका सेवाओं के लिए चलाया गया उनका आंदोलन उनकी सार्वजनिक गतिविधियों का सदा एक सुनहरा पन्ना बना रहेगा। उन्होंने मुम्बई तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में गरीबों और झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के बीच जाकर उनके कल्याण के लिए काम किया था।

अहिल्या रांगनेकर ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी गतिविधियों की छाप छोड़ी है। वह दस वर्षों से अधिक समय तक सीआइटीयू की उपाध्यक्ष रहीं। उन्होंने विमल रणदिवे तथा सुशीला गोपालन के साथ मिल कर चेन्नै में कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति का गठन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वह समन्वय समिति की संस्थापक सदस्य थीं। संसद सदस्य के रूप में वह लगातार कामकाजी महिलाओं के साथ–साथ पूरे मजदूर वर्ग की समस्याओं को लोक सभा में उठाती रहीं इसके चलते मेहनतकश अवाम की विभिन्न श्रेणियों के बीच उन्हें भारी सम्मान मिला और समय समय पर उनकी सेवाओं की सराहना की गई।

अहिल्या ताई राजनीतिक स्तर पर भी सक्रिय रहीं। वह 1983 से लेकर 1986 तक सीपीआइ(एम) की महाराष्ट्र राज्य समिति की सचिव रहीं। वह 1978 में पार्टी की जालन्धर कांग्रेस में केन्द्रीय समिति की सदस्य चुनी गईं और 2005 में अधिक उम्र तथा खराब स्वास्थ्य के चलते वह इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गईं।

अहिल्या ताई ने पहले 1942 के आंदोलन में सात वर्ष और बाद में 1975 में आपातकाल के दौरान कैद की सजा भुगती थी। उन्होंने 2 वर्ष भूमिगत रह कर काम किया था।

हम, इस असाधारण नेत्री के देहावसान पर गहरा शोक व्यक्त करते है। वह सबसे प्यार करती थीं इसीलिए वह जन साधारण में बेहद लोकप्रिय हो गई थीं; वह उदात्त भावनाओं से ओत पोत थीं; हमेशा साहस से परिपूर्ण रहा करती थीं और अंतिम सांस तक उन्होंने अपनी इस भावनाओं को बनाए रखा। उन्होंने 8 मार्च 2009 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी खराब सेहत के बावजूद अंतिम समय किसी सार्वजनिक समारोह में भाग लिया था।

अहिल्या ताई एक ऐसा शानदार व्यक्तित्व थीं जिन्हें सदा याद रखा जाएगा।

नई सरकार की नीतियां

कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने पंद्रहवीं लोक सभा चुनावों में जनता का बहुमत हासिल कर सरकार का गठन किया है जिसमें मनमोहन सिंह को पुनः प्रधानमंत्री बनाया गया है। यदि भाजपा सरकार की बात करें तो इसके पास तो अपने सांप्रदायिक मुद्दों के अलावा कोई मुद्दा शेष बचा ही नही था, और उसे भी जनता ने सिरे से नकार दिया। वामपंथ को भी गम्भीर झटका लगा है जिससे उनकी अनुमानतः सीटों में भी काफी कमी आई है।

सीआइटीयू ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को हराने और वामपंथ जिताने के लिए अभियान चलाए क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही भूमंडलीयकरण की नव उदारवादी आर्थिक नीतियों, उदारीकरण और निजीकरण का पक्ष लेते है और वामपंथ मजदूर वर्ग सहित जनहितकारी नीतियों के विकल्प का। परन्तु यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये प्रयत्न सफल नही हो सके। विभिन्न राजनैतिक दल मुख्यतः वामपंथ को इन चुनावों में गहरा धक्का लगा है और वामपंथ इनके कारणों का गम्भीरतापूर्वक पता लगाने की प्रक्रिया में जुटे हैं और आशा है कि वे पुनः अपना समर्थन प्राप्त कर लेंगे। परन्तु कांग्रेस की जीत का स्वतः ही यह मतलब नही हो जाता कि जनता ने नई कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को जीत दिलाकर अमीरों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों को स्वतंत्रतापूर्वक लागू कर देने की छूट दे दी है। अब तक तो वाम पंथी दलों के कड़े विरोध के कारण, पिछली सरकार इन नीतियों को लागू करने में सफल नही हो पा रही थी क्योंकि वह सरकार वामपंथ के समर्थन पर निर्भर थी। कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने के मुख्य कारण यह भी हो सकते हैं कि वामपंथ के दबाव के कारण जिन कार्यक्रमों को लागू किया गया था उनका लाभ ही इस सरकार को मिल रही है जैसे नैशनल रूरल एम्पलॉयमेंट गारंटी एक्ट (नरेगा), फोरेस्ट ट्राइबल एक्ट इत्यादी।

वामपंथ के समर्थन की निर्भरता के बिना कांग्रेस द्वारा सरकार के गठन की संभावना पर कोरपोरेट हाउसों की प्रसन्नता से साफ पता चलता है कि उन्हें संशोधन प्रक्रिया जिनमें आर्थिक क्षेत्र और श्रम कानूनों के संशोधन संबंधी अपने अधूरे इरादों को पूरा करने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने थे, उनमें रूकावटें पैदा करना और भी कठिन हो गया है। पिछली बार की तरह कोई भी पार्टी चाहे उसका समर्थन बाहरी हो या भीतरी, उन्हें देश की जनता के लाभों के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए दबाव नही डालेगी। अब की बार मुख्य मुद्दा होगा और भी अधिक मंत्री पद प्राप्त करना और उनकी पसंद के पोर्टफोलियो।

जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता था कि पंद्रहवें आम चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसके लंबे चौडे दावे किए गए हैं कि यूपीए सरकार इस बार क्या क्या करके दिखाने जा रही है। इस अभिभाषण में गिनाए गए कार्यक्रमों और योजनाओं में से अनेक तो वास्तव में पिछली सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किए गए वादों के दोहराए जाने या उनके संबंध में उठाए कदमों के आगे के कदम सुझाए जाने को ही दिखाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार एक "समावेशी समाज तथा समावेशी अर्थव्यवस्था" के उस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे 2004 में यूपीए सरकार ने अपने लक्ष्य के रूप में देश के सामने रखा था। लेकिन पिछले पांच सालों की सच्चाई क्या रही है? खुद सरकार के ही अपने अनुमानों के अनुसार लगभग 84 करोड़ जनता , 20 रू रोजाना से कम में गुजारा करते हैं। दूसरी ओर 36 डॉलर अरबपति हैं, जिनके हाथों में देश के सकल घरेलु उत्पाद का 25 फीसद हिस्सा है। हर रोज इस देश में हजारों बच्चे पानी से फैलने वाले ऐसे रोगों से अपना दम तोड़ देते हैं, जिन्हें पूरी तरह से रोका जा सकता है। 56 फीसद बच्चों को किसी तरह का टीका या रक्षा कवच हासिल ही नही हो पाता है। इस देश के 40 फीसद बच्चे, अपनी आयु के मानक वजन से कम वजन के हैं। 70 फीसद बच्चे पर्याप्त पोषण न मिलने के चलते खून की कमी के शिकार हैं। देश की दो तिहाई आबादी को अब भी अपनी बस्ती के निकट पीने लायक पानी की सुविधा नही है। करीब दो तिहाई गर्भवती माताएं खून की कमी से पीड़ित हैं। उनकी कोख में देश का भविष्य पल रहा हैऐसी बुरी है हमारे देश में माताओं और बच्चों की हालत।

2009 के चुनावों में कांग्रेस के मसौदे में यह दोहराया गया कि छः साल से कम उम्र के बच्चों का विकास करने वाले इसके ही एक कार्यक्रम समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) को सर्वव्यापी बनाया जाएगा। परन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसके सर्वव्यापीकरण का कोई ज़िक्र ही नही था। बजाय इसके इस योजना को पंचायतों के सुपुर्द करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

हालांकि पिछले पांच वर्षों से वामपंथी पार्टियां जिसे रोक रही थीं अब उसे मंच के केंद्र पर ले आया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में एलान किया गया है कि उनकी सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विनिवेश करेगी। इसी तरह से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को देश के बुनियादी ढ़ांचे के विकास की रणनीति के केंद्रिय तत्व के रूप में रखा गया है। यह तो कुछ भी नही है, सार्वजनिक सम्पत्ति को निजी हाथों में बेचा जा रहा है और उनके लाभ कमाने के अवसरों को बढ़ाया जा रहा है जिसका पूरा भार आम जनता पर डाला जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण द्वारा

यूपीए सरकार ने घोषणा की कि पेंशन फंड रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट ऑथोरिटी एक्ट को समाप्त करने, जनता के पेंशन फंड का निजीकरण के कदम और इस फंड को स्टॉक मार्केट में बांटने का उनका इरादा है, उनके ये इरादे वामपंथ की उपस्थिति के कारण पहले कामयाब नही हो पा रहे थे।

राष्ट्रपति द्वारा खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक नए कानून "द नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट" के बारे में अवगत कराया गया। परन्तु यह सुविधा केवल उन्हें प्राप्त हो सकेगी जो अफसरी गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं। इस गरीबी रेखा की सीमा क्या है – ग्रामीण क्षेत्रों में 11.80 रू और शहरी क्षेत्रों में 17.80 रू। और यह भी सार्वजनिक तथ्य है कि बहुसंख्य गरीब इस सीमा रेखा से बाहर ही रह जाते हैं और उन्हें बीपीएल कार्ड नही मिल पाता। और अगर यह कानून लागू भी किया गया तो असंगठित क्षेत्र के लगभग सभी मजदूर इस सुविधा से वंचित ही रह जाऐंगे। राष्ट्रपति का भाषण इस बात का साक्ष्य है कि यूपीए सरकार का इरादा अपने निजीकरण और उदारीकरण को लागू करने का है, और ऐसे समय में जब बहुत सी सरकारें जो विकसित देशों में भूमंडलीयकरण औ उदारीकरण के पक्ष में थीं, अब विश्व आर्थिक संकट के परिप्रेक्ष्य में अपने उद्योगों को बचाने के लिए राष्ट्रीयकरण की ओर जा रही हैं।

अब यह साफ हो जाता है कि यूपीए सरकार इन चुनावों में अपने को सफल मानकर नव उदारवादी आर्थिक सुधारों के ऐजेंडे को आगे ले जाने में तत्पर है जोकि अब भी यह ऐसा पूरी तरह से लागू करने में कामयाब नही हो पाएगी क्योंकि वामपंथ संसद के भीतर विपक्ष में हैं। परन्तु मजदूर वर्ग जानता है कि इन नीतियों का चरित्र जनविरोधी और मजदूर विरोधी है जोकि कभी बदला नही है; और न ही मजदूर वर्ग इनका विरोध करने में पीछे हटेगा। वर्तमान स्थिति मजदूरों की कार्यस्थिति एवं जिंदगी में सुधार लाने के लिए मजदूर वर्ग के कंधों पर एकता मजबूत करने और अन्य जनता को भी लामबंद करने का बोझ बढ़ा दिया है। सीआइटीयू की राज्य स्तर की सभी कमेटियां इस उत्तरदायित्व को भली प्रकार से निभाने में पहलकदमी करती हैं।

देश में कितने गरीब

गरीबी रेखा को लेकर देश में एक नई बहस शुरू होने जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त फूड कमिश्नर एन सी सक्सेना ने जांच पड़ताल के बाद गांवों में उन लोगों को गरीब माना है जो हर महीने औसतन 700 रू से कम खर्च कर पाते हैं, और शहरों में उनको, जिनकी मासिक खर्च सीमा 1000रू से आगे नही जा पाती। यह रकम प्रति व्यक्ति खर्च की है। यानि अगर औसत परिवार पांच सदस्यों को मानकर चलें तो गरीबी रेखा से उपर रहने के लिए हर ग्रामीण परिवार को हर महीने 3500रू और हर शहरी परिवार को 5000रू खर्च करने होंगे। खाना, कपड़ा, रहने का किराया, आने जाने का खर्च और रोजमर्रा की बाकी जरूरतों के साथ बच्चों की पढ़ाई, हारी–बीमारी, शादी ब्याह जैसे आकस्मिक खर्चों को भी शामिल कर लें तो सक्सेना द्वारा प्रस्तावित गरीबी रेखा भी एक तरह की ज्यादती ही लगती है। लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले 35 वर्षों से अपने कामकाज के लिए जो गरीबी रेखा तय कर रखी है, उसकी तो बात ही निराली है। योजना आयोग की नजर में गरीब वही लोग हैं जो गांवों में हर महीने 356 रू से कम और शहरों में 539 रू से कम खर्च कर पाते हैं। पांच लोगों के औसत ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए यह रकम क्रमशः 1780रू और 2695रू ठहरती है। गांवों से जिनकी वाबस्तगी नही है, वे लोग भी इस आंकड़े की असलियत से परख सकते हैं। महानगरों में साझा टॉयलेट और बगैर किचन वाला एक कमरा अब खराब से खराब बस्ती में भी एक हजार रू महीने से कम किराए में नही मिलता। बच्चे को सर्दी जुकाम की दवा देनी हो तो भी तीन चार सौ निकल जाते हैं। ऐसे में 2700 रू महीने की कमाई में गुजर करने वाले पति पत्नी और तीन बच्चों को गरीब न मानकर सरकार अगर उन्हें सस्ते राशन की सुविधा से वंचित कर देती है तो खुद को आम आदमी के करीब बताने का उसे क्या हक बनता है ? गरीबी हटाओ अभियान शुरू करने से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से पता चला था कि गांवों में 62 रू और शहरों में 71 रू महीना खर्च करके कोई व्यक्ति जिंदा रहने भर को खाना खरीद सकता है। मुद्रास्फीति का हिसाब लगाकर गरीबी की यही कसौटी सन् 2004 तक 356 बार 539 रू तक आ पहुंची थी, जिसे आज भी ज्यों का त्यों चलाया जा रहा है। इस स्थाई गरीबी रेखा का ही चमत्कार है कि देश में गरीबों का प्रतिशत लगातार कम होता हुआ 28.8 प्रतिशत तक आ पहुंचा है। इन 35 वर्षों में सरकारी चिकित्सा सुविधा समप्त हो गई है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कहीं संयोग से ही हो पाती है। ज्यादातर जगहों से सरकारी बसें गायब हो चुकी हैं। फटे चीकट पहने व्यक्ति को काम तो क्या कोई भीख भी नही देता। लेकिन सरकार के लिए अपनी अद्भुत गरीबी रेखा के सामने इन छोटी मोटी बातों के कोई मायने ही नही हैं। विश्व बैंक की परिभाषा माने तो देश के तीन चौथाई लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। सक्सेना साहब की सुनें तो देश की आधी आबादी ही गरीब रह जाती है। और योजना आयोग पर भरोसा करें तो गरीब लोग अब देश के एक चौथाई से ज़रा ही ज्यादा रह गए हैं। इस गड़बड़झाले का कोई अंत है ?

साभार: नवभारत टाइम्स

भारत की संसद बनी करोड़पतियों का क्लब

इस बार लोक सभा में करोड़पति सांसदों की संख्या में दो गुणा वृद्धि हुई है। पिछली बार अर्थात् 14वीं लोक सभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या 154 थी जबकि पंद्रहवीं लोक सभा में 300 करोड़पति होंगे। क्योंकि 55.25 प्रतिशत सदस्य खाते पीते सम्भ्रांत व्यक्ति हैं इसलिए इस लोक सभा को लोगों की सभा नहीं कहा जा सकता।

यदि सत्ताधारी गठबंधन के वर्गीय चरित्र पर नजर डाली जाए तो पता चल जाएगा कि दस सबसे अधिक अमीर सांसदों में से आठ सांसद कांग्रेस तथा उसकी सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं; इसमें हैरानी की बात नहीं। 45 प्रतिशत करोड़पति सांसदों (137) का सम्बन्ध कांग्रेस पार्टी से है। कई करोड़पति सांसद प्रतिपक्षी दलों की शोभा भी बढ़ा रहे हैं जिससे पता चल जाता है कि भारत की राजनीति का वर्गीय चरित्र क्या है। बीस प्रतिशत करोड़पति सांसदों (58) का सम्बन्ध भारतीय जनता पार्टी से है। इनकी परछाई समाजवादी पार्टी 5 प्रतिशत (14) और बहुजन समाज पार्टी 4 प्रतिशत (13) जैसे दलों में भी दिखाई दे रही है।

सुपर रिच (अत्यंत समृद्ध) लोगों की श्रेणी खुशी से फूली नहीं समा रही और उसकी यह खुशी कभी देखी नहीं गई थी क्योंकि इन चुनावों में वाम पंथ को भारी झटका लगा है। अब वे सभी तथाकथित सुधार जो मनमोहन सिंह के पसंदीदा रहे हैं, लाने के मामले में कोई रोकने या टोकने वाला नहीं रहा जबकि वाम पंथ पूरे पांच वर्ष इन्हें रोकता रहा था। अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के उनके एजेंडे में शामिल है, सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इकाईयों विशेष तौर पर नव रत्न इकाईयों का विनिवेश, खुदरा व्यापार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बीमा क्षेत्र के किवाड़ विदेशी कम्पनियों के लिए खोल देने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बेच डालने, हॉयर एण्ड फॉयर की श्रम नीतियां अपनाने, अनाज और दूसरी उपभोक्ता वस्तुओं के मामले सट्टा बाजार को खुली छूट देने जैसी बातें शामिल हैं। अब वे धूम धड़ाके से अपने कार्यक्रम पर अमल करके सुधारों को आगे बढ़ा सकेंगे।

क्योंकि अब लोक सभा में करोड़पति सांसदों की संख्या बढ़ कर दोगुणा हो गई है और वाम मोर्चा की संख्या बहुत कम हो गई है इसलिए गरीबों, वंचित और पिछड़े लोगों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ उठने वाली आवाज भी कमजोर हो जाएगी। उनकी संख्या केवल 24 है। इस स्थिति में लगभग 83 करोड़ लोगों जो मात्र 20 रुपए प्रति दिन की आय पर गुजर बसर करने पर मजबूर हैं, और 30 करोड़ लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, के लिए आवाज कौन उठाएगा।

भारत की राजनीतिक व्यवस्था के ये दो पहलू उभर कर सामने आए हैं। मतदाताओं को लुभाने वाली धन की शक्ति का प्रभाव पहले से कहीं अधिक बढ़ा है। इन चुनावों में किस तरह पांच–पांच सौ रुपए के नोट अथवा उससे भी अधिक धन खुले रूप में बांटा गया है, मतदाताओं के लिए यह कोई लुकी छिपी बात नहीं है। भूमण्डलीयकरण के नाम पर पिछले 18 वर्षों से चल रही प्रक्रिया ने भारत की जनता को दो श्रेणियों में बांट दिया है। एक श्रेणी के पास विशाल धन इकट्ठा हो गया है और वे अमरीका और युरोप के धन्ना सेठों की बराबरी करने लगे हैं। दूसरी श्रेणी भारत विशाल बहुसंख्या की है जिनकी गरीबी सब–सहारा देशों में व्याप्त गरीबी को भी मात दे रही है।

धन बल की सहायता से संसद पर बर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया पहले से चलती रही है किन्तु इस बार एक विशेष बात जो देखने को मिली वह यह है कि भारत की साधारण जनता इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तेजी से निकलती चली जा रही है। अमीरों के पास बेतहाशा पैसा आ चुका है और वे किसी को भी खरीद लेने की स्थिति में आ गए हैं चाहे वह मीडिया हो या वोट। धीरे–धीरे संसद का स्वरूप बदलता जा रहा है और वह करोड़पतियों की, करोड़पतियों के द्वारा और करोड़पतियों के लिए हो गई है। देश की जनता का कर्त्तव्य हो जाता है कि वे इसके खिलाफ न केवल अपनी आवाज बुलंद करें बल्कि संसद में वाम पंथ के 24 सदस्यों की आवाज को भी मजबूती प्रदान करें।

लोकसभा में महिलाओं की स्थिति

लोक सभा	कुल सीटें	चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों की संख्या
पहली – 1952	489	–
दूसरी – 1957	494	22
तीसरी – 1962	494	31
चौथी – 1967	520	29
पांचवीं – 1971	518	21
छठी – 1977	542	19
सातवीं – 1980	542	28
आठवीं – 1984	542	42
नौवीं – 1989	543	29
दसवीं – 1991	543	37
ग्यारहवीं – 1996	543	40
बारहवीं – 1998	543	43
तेरहवीं – 1999	543	49
चौदहवीं – 2004	543	45
पंद्रहवीं –2009	543	59

मई दिवस पर पूरे विश्व में लहराया लाल झंडा

फ्रांस के पेरिस शहर में एक अनुमान के अनुसार प्रदर्शन में 1,60,000 लोगों ने भाग लिया। मजदूरों के अलावा सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों, वामपंथी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी–अपनी सांगठनिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ कर इस प्रदर्शन में भाग लिया। डाक्टरों, वकीलों, छात्रों, महिलाओं और शिक्षकों द्वारा भी अनेक स्थानों पर भूमण्डलीयकरण विरोधी प्रदर्शन किए गए।

जर्मनी में इस बार बर्लिन में पांच लाख से अधिक मजदूरों की ओर से रैली की गई जो अब तक की सबसे बड़ी रैली मानी जाती है। इस रैली में न केवल जर्मन मजदूरों ने बल्कि प्रवासी श्रमिकों ने भी भारी संख्या में भाग लिया। हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट और दूसरे शहरों में भी मजदूरों की ओर से विशाल प्रदर्शन किए जाने के समाचार मिले हैं।

स्पेन में अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसे होने के कारण कामबंदी और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। इस बार मजदूरों की ओर से मई दिवस समारोह मनाने के आह्वान को जोरदार प्रत्युत्तर दिया है। मैड्रिड में 65 हजार से अधिक मजदूरों की ओर से इस दिन जोरदार प्रदर्शन किया गया।

इटली में रोम में मई दिवस के अवसर पर विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में हजारों मजदूरों और उनके परिजनों ने भाग लिया।

तुर्की की राजधानी इस्तंबूल दूसरे शहरों में मजदूरों की ओर से विशाल रैलियां निकाली गई और प्रदर्शन किए गए।

रूसी फैडरेशन ने रूस के सभी बड़े शहरों में मजदूरों की ओर से विशाल प्रदर्शन किए गए किन्तु इस बार अनेक स्थानों पर पुलिस द्वारा मजदूरों की रैलियों पर हमले किए जाने के समाचार मिले हैं। मास्को में 25 हजार से अधिक मजदूर लाल चौक के समीप कार्ल मार्क्स की मूर्ति के आगे जमा हुए।

क्यूबा के हवाना शहर में आयोजित रैली को अनेक अर्थों में ऐतिहासिक कहा जा सकता है। रैली में न केवल पांच लाख से अधिक मजदूरों ने भाग लिया बल्कि मई दिवस मनाने के उद्देश्य से क्यूबा आए 200 विदेशी नागरिकों ने भी बढ़ चढ़ कर इन समारोहों में भाग लिया। ये लोग दुनिया के 70 देशों से आए थे।

भारत

देश के विभिन्न राज्यों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पूरे उत्साह के साथ मजदूर वर्ग की ओर से मई दिवस मनाया गया। इसकी रिपोर्ट नीचे दी जा रही है:

दिल्ली

सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों, औद्योगिक महासंघों तथा कर्मचारी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से मई दिवस के अवसर पर रामलीला मैदान से जुलूस निकाला गया जो चांदनी चौक टाउन हाल में पहुंच कर रैली में तबदील हो गया। सीआइटीयू के राष्ट्रीय सचिव दीपंकर मुखर्जी के अलावा एटक, एआइसीसीटीयू, एचएमएस, यूटीयूसी–एलएस, यूटीयूसी, टीयूसीसी इत्यादि संगठनों के नेताओं ने रैली को सम्बोधित किया। रैली के बाद संयुक्त मई दिवस घोषणा पत्र भी जारी किया गया।

गाजियाबाद, **फरीदाबाद**, **नौएडा** में मजदूरों ने कई प्रकार से कार्यवाहियां कर मजदूर मांग दिवस मनाया। सीआइटीयू के **केन्द्रीय कार्यालय** बी टी रणदिवे भवन में भी मई दिवस धूमधाम से मनाया गया। सीआइटीयू के राष्ट्रीय सचिव कनाई बनर्जी ने लाल झण्डा फहराया और मई दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला।

झारखण्ड

रांची में कर्मचारी और मजदूर समन्वय समिति ने मई दिवस के अवसर पर रैली निकाली जो अलबर्ट एक्का चौक में पहुंच कर जन सभा में तबदील हो गई। एक और रैली विभिन्न यूनियनों से सम्बन्ध रखने वाले लगभग पांच सौ कर्मचारियों और मजदूरों ने मेन रोड से निकाली। यह रैली भी अलबर्ट एक्का चौक पहुंची। इस विशाल रैली में कामकाजी महिलाओं ने भी भारी संख्या में भाग लिया। आदित्यपुर गम्हरिया, धारमभूमगढ़, घाटशिला और **झरिया** में (पूर्वी सिंहभूम) में सीआइटीयू के झण्डे तले सैंकड़ों मजदूरों ने जुलूस निकाले गए और झण्डोत्तोलन किया गया।

पश्चिम बंगाल

कोलकाता में सीआइटीयू, एटक, टीयूसीसी, यूटीयूसी तथा 12 जुलाई समिति के आहवान पर मई दिवस पर एक विशाल

रैली आयोजित की गई। सीआइटीयू के महासचिव मोहम्मद अमीन ने रैली को सम्बोधित किया।

उत्तर प्रदेश

वाराणसी में संयुक्त ट्रेड यूनियन आयोजन समिति जिसमें सीआइटीयू के अलावा एटक, एचएमएस, बीमा, बैंक, साधारण बीमा, दवा प्रतिनिधि, असंगठित क्षेत्रों की यूनियनें शामिल हैं, की ओर से आजाद पार्क में जन सभा का आयोजन किया गया। **कानपुर** में सीआइटीयू के तत्वावधान में विभिन्न श्रमिक संघों की ओर से जे के जूट मिल के गेट पर विशाल सभा का आयोजन किया गया इसी प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ यूनियन के कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

जन चेतना कला मंच ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मई दिवस की कहानी को दर्शाया कि किस तरह उन्होंने काम के घण्टे आठ कराने के लिए संघर्ष किया। फूल बाग में नाटक का मंचन करते हुए बताया गया कि कारखाना में काम करते हुए एक मजदूर का हाथ कट जाता है। मालिक मजदूर की दिक्कत की बजाए कारखाना में हुए नुकसान की चिन्ता करता है। वह मजदूरों को धमकाता है कि सभी काम पर जाएं और घायल मजदूर का लड़का उसकी जगह तब तक काम करेगा जब तक नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती। इससे मजदूरों को आघात लगता है और वे काम के घण्टे आठ सहित बुनियादी हक की लड़ाई शुरू करते हैं क्योंकि उनसे 20–20 घण्टे काम लिया जाता था और आराम न करने के कारण वह अपने अंग या फिर जान गंवाते थे।

छत्तीसगढ़

धमतरी में जानकी बाई टण्डन की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। सभा में गाड़ीवान–ठेलावान यूनियन, मण्डी श्रमिक एकता यूनियन, मण्डी तौलैय्या हमाल संघ, मण्डी रेजा संघ के सैंकड़ों सदस्यों ने भाग लिया।

मध्य प्रदेश

प्रदेश में 23 तथा 30 अप्रैल को लोक सभा चुनाव सम्पन्न हो जाने के बावजूद अधिकांश जगहों पर प्रशासन ने मई दिवस के उपयुक्त आयोजनों के लिए अनुमति नहीं दी। **ग्वालियर** में रैली के बाद सभा करने के लिए महाराज बाड़े पर मंच बनाया गया था किन्तु रैली के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने मंच उखाड़ दिया। इसका विरोध किए जाने पर आखिरी क्षणों में अनुपयुक्त स्थान (गांधी मार्केट गोलबंदर) पर सभा की अनुमति दी।

भोपाल में आखिरी दिन तक अनुमति का मामला लम्बित रखा गया और बाद में अनुमति दी भी तो पारम्परिक स्थान की जगह नयी जगह हेतु दी गई। इस पर भी सीआइटीयू, एटक, बैंक, बीमा व केन्द्रीय कर्मचारियों ने संयुक्त रैली निकाली।

जबलपुर में सीआइटीयू, एटक, एचएमएस, टीयूसीसी व सीईसीसी की ओर से संयुक्त रूप से रैली और सभा का आयोजन किया गया। **सिवनी** में प्रशासन ने बीच सभा में माइक जब्त करने की कार्रवाई की।

इंदौर में मई दिवस आयोजन समिति की ओर से संयुक्त रैली निकाली गई और दस हजार पर्चे छाप कर बांटे गए। सागर में सीआइटीयू, एटक, बैंक, बीमा, बीएसएनएल कर्मचारियों के संगठनों ने संयुक्त रैली निकाली। रीवा, मण्डीदीप, सीहोर, नागदा, बालाघाट, गुना, शिवपुरी, रतलाम, नीमच, छिंदवाड़ा, सतना इत्यादि जिलों में 50 के लगभग स्थानों पर मई दिवस आयोजन किए गए।

कोयला खदानों में मई दिवस

उमरिया, हंसदेव, सिंगरौली में सभी यूनियनों ने संयुक्त विराट प्रदर्शन करके मई दिवस मनाया।

छिंदवाड़ा के पेन्च कन्हान क्षेत्रों के सभी यूनियन कार्यालयों पर झण्डे फहराए गए। **छिंदा** में रैली व आम सभा का आयोजन किया गया।

बैतूल के पाथाखेड़ा क्षेत्र में यूनियन कार्यालय पर झण्डा वंदन कर गोष्ठी की गई।

मेडिकल रिप्रजेंटेटिव्स ने रखी हड़ताल

मेडिकल रिप्रजेंटेटिव्स के संगठन की सभी 15 इकाईयों में मई दिवस के दिन मेडिकल रिप्रजेंटेटिव्स ने हड़ताल रख कर आठ घण्टे के कार्य दिवस हेतु संघर्ष करने की शपथ ली।

जम्मू एवं कश्मीर

कठुआ के विभिन्न इलाकों में मई दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया; रैलियां निकाली गई और शहीद मजदूरों की याद में श्रद्धांजलि सभाएं की गईं। इसी क्रम में इण्डस्ट्रियल वर्कर्स एकता यूनियन ने विशाल रैली निकालकर कार्यक्रम का आयोजित किया।

बिहार

मुजफ्फरपुर सरकारी कर्मचारियों के यूनियन कार्यालय में मई दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

समस्तीपुर में सीआइटीयू, एक्टू और एटक के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों की ओर से मई दिवस

समारोह का आयोजन किया गया।

राजस्थान

अजमेर के मदनगंज–किशनगढ़ में सीआइटीयू से सम्बद्ध किशनगढ़ मिल राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, अजमेर जिला विद्युत कर्मचारी यूनियन और ऑटो एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से सीआइटीयू कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। इसी प्रकार टैम्पो चालकों की ओर से जुलूस निकाला गया जो सीआइटीयू कार्यालय में पहुंच कर रैली में बदल गया।

महाराश्ट्र

मुम्बई में सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे ने तीन जन सभाओं को सम्बोधित किया। सुबह के समय बीएचईएल की इलेक्ट्रिक मोटर रिपेयर शाप में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें सभी मजदूरों और अधिकारियों ने भाग लिया। इस सभा को सम्बोधित करते हुए पन्धे ने मई दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। फारवर्ड सीमैन्स यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से के सी कालेज के सभागार में समारोह का आयोजन किया गया जिसके मुख्य वक्ता एम के पन्धे थे। सभा में ऑल इंडिया डिफैंस इम्पलाईज यूनियन के नेता सैम्युल ऑगस्टाइन तथा कामगार सेना के महाडिक ने भी भाग लिया।

सभी श्रमिक संगठनों की ओर से संयुक्त रैली का आयोजन भी किया गया जिसमं मजदूरों से मई दिवस की ऐतिहासिक परम्पराओं को आगे बढ़ाते हुए मजदूर वर्ग की एकता को मजबूत बनाने का आह्वान किया गया।

दो सालों में दुगुनी हुई दिल्ली में शिशु मृत्यु दर

यूं तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है परन्तु यहां के बच्चे अपना पहला जन्मदिवस मनाने से पूर्व ही मृत्यु की बलि चढ़ जाते हैं और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात तो यह है कि ऐसे बच्चों की संख्या दिल्ली में पिछले दो सालों में लगभग दुगुनी हो गई है– यह आंकड़े स्वयं दिल्ली सरकार के हैं। 2008–2009 के दिल्ली के आर्थिक सर्वे के आंकड़े दर्शाते हैं कि दिल्ली शहर में वर्ष 2007 में 0 से 1 वर्ष के उम्र के बच्चों की शिशु मृत्यु दर प्रति हजार बच्चों पर 25.4 थी, जबकि वर्ष 2006 में 12.9 और वर्ष 2005 में 18.1

यद्यपि दिल्ली की शिशु मृत्यु दर के आंकड़े राष्ट्रीय औसत आंकड़े 55 के मुकाबले फिर भी बेहतर है, वर्ष 2007 के आंकड़े तो तगड़ा झटका देने वाले हैं। पिछली बार दिल्ली में वर्ष 2001 में यह दर सबसे ऊँचे स्थान पर यानि 24.5 पर पहुंच गई थी।

दिल्ली की मेडिकल फ्रैटर्निटी कहती हैं कि ''ये आंकड़े बहुत ही चिंताजनक है, और विशेषतः ऐसे समय में जबकि शहर में बेहतर भविष के दावे किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र पर काफी व्यय किया जा रहा है। वर्ष 2008 के बजट में दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 873.70 करोड़ रू आबंटित किए थे जिनमें से 9 फीसद सबस्टैंशियल के रूप में रखे गए थे।''

''दिल्ली में मृत्यु दर बढ़ने के विभिन्न कारण है, जैसे माता पिता में शिक्षा का अभाव, मुख्य रूप से मां में शिक्षा का अभाव'' – यह कहना है एलएनजेपी अस्पताल की वरिष्ठ डॉ सुधा प्रसाद का।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली में शिशु मृत्यु दर अधिक बढ़ने के बहुत से कारण हैं, जिनमें माइग्रेशन भी एक प्रमुख कारण है। वे कहती हैं कि शहर में बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार अस्पतालों में बिस्तर भी उपलब्ध नही है, बड़े– बड़े अस्पताल भी स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को पूरा नही कर पा रहे हैं, जल्द ही इसका कुछ समाधान ढूंढना होगा।

स्वास्थ्य मंत्री किरण वालिया ने इस पर सहमति जताई और कहा कि ''हम कुछ समय से स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य सेविकाएं और आंगनवाड़ी भी शामिल हैं। प्रमुख योजनाएं जैसे जननी सुरक्षा योजना और ममता योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। परन्तु शहर में माइग्रेशन एक बड़ा कारण होने की वजह से भी सभी प्रयत्नों में कमी आ रही है।''

सर्वे में दावा किया गया है कि माइग्रेंटस की संख्या में वृद्धि हो रही है – वर्ष 2007 में शहर में 47.42 फीसद माइग्रेंटस थे जबकि सामान्य वृद्धि 52.58 फीसद थी।

(रिपोर्ट– रूमु बैनर्जी, द टाइम्स ऑफ इंडिया)

हिमाचल में मिड डे मील वर्कर्स का जोरदार प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश स्कूल मिड डे मील वर्कर्स यूनियन (सीटू) की ओर से 26 मार्च, 2009 को शिमला में राज्य सचिवालय के आगे जोरदार प्रदर्शन किया गया। पूरे प्रदेश से आए लगभग 3000 मिड डे मील श्रमिकों ने खराब मौसम और बारिश के बावजूद अपने इस पहले राज्य स्तरीय प्रदर्शन में भाग लिया। सरकार के पिछलग्गू संगठन भारतीय मजदूर संघ ने इसे असफल बनाने के लिए तरह–तरह की भ्रांतियां फैलाई पर वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। प्रदर्शन की परिणति जन सभा के रूप में हुई जिसे सीआइटीयू नेता डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर, विजेन्द्र मेहरा तथा जगत राम के अलावा यूनियन नेत्री आशु भारती इत्यादि नेताओं ने सम्बोधित किया।

जनसभा को सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सत्तारूढ़ रही भूतपूर्व कांग्रेस सरकार और वर्तमान में सत्तासीन भाजपा सरकार ने मिड डे मील कर्मचारियों का सदैव शोषण किया है व उनकी मांगों को अनदेखा किया है। शोषण का आलम यह है कि उन्हें प्रतिमाह दो सौ से चार सौ रुपए वेतन दिया जाता है जोकि उनके साथ भद्दा मजाक है। जो थोड़ा–सा वेतन उन्हें दिया भी जा रहा है उसका भुगतान प्रतिमाह न होकर छः से आठ महीनों में किया जाता है। बच्चों की संख्या स्कूल में बढ़ने पर तो उनका वेतन बढ़ता नहीं अपितु संख्या घटने पर यह वेतन घट जाता है।

बाद में कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमण्डल शिक्षा सचिव से मिलने गया और उन्हें मांग पत्र भेंट किया गया। उनकी मांग थी कि मिड डे मील कर्मचारियों को शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाए; सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं उन्हें दी जाएं; अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त वेतन दिया जाए; वेतन का भुगतान प्रति माह किया जाए; महिलाओं को साढ़े चार महीने का प्रसूति अवकाश दिया जाए तथा पुरुष कर्मचारियों को भी जच्चा–बच्चा की देख भाल के लिए 20 दिन का अवकाश दिया जाए; कर्मचारियों को बीमा सुविधा दी जाए और मिड डे मील कर्मचारियों को अंशकालिक कर्मचारी मान कर 1650 रुपए का वेतन दिया जाए। यूनियन ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों की उचित मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा।

उत्तराखंड में आशाओं एवं भोजनमाताओं का जिला सम्मेलन

उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग जिले में **भोजनमाता कामगार यूनियन (सीटू)** का प्रथम जिला सम्मेलन 7 जून को संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता पंचमी देवी ने की। सम्मेलन का उद्‌घाटन सीटू के राज्य प्रर्यवेक्षक पुरूषोत्तम पुरी ने संगठन का झंडा फहराकर किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होनें कहा कि सीटू के तत्वावधान में पूरे देश में सेमिनार कर केंद्र सरकार से भोजनमाताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करके उनको न्यूनतम वेतनमान देने की मांग की गई। सम्मेलन को संविदा श्रमिक संघ के जिला अध्यक्ष सूरवीर सिंह जनौस के नरेंद्र रावत सीटू के रामकृष्ण नौटियाल, किसान सभा के गंगाधर नौटियाल आदि ने संबोधित किया। सम्मेलन के अंत में 33 सदस्यीय कार्यकारिणी कमेटी का गठन किया गया, जिसमें पंचमी देवी को जिला अध्यक्ष, रीना विष्ट को जिला सचिव और चैना देवी को कोषाध्यक्ष चुना गया। सम्मेलन का संचालन सीटू के जिला संरक्षक बीरेंद्र गोस्वामी ने किया।

रूद्रप्रयाग **आ�ा कार्यकर्ता यूनियन (सीटू)** का प्रथम जिला सम्मेलन 17 मई को कामरेड वीरचंद्र सिंह गढ़वाली नगर स्थित बारात घर में संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता ललिता देवी, कमला राणा, दशमी मैठाणी अनीता, सुशीला सेमवाल के अध्यक्षमंडल ने कीं सम्मेलन के पहले यूनियन के नेतृत्व में मुख्य बाज़ार होते हुए रैली निकाली गई और प्रदर्शन किया गया। सम्मेलन की शुरूआत सम्मेलन की उपाध्यक्ष ललिता देवी द्वारा झंडा फहराए जाने के साथ हुई। प्रतिनिधि सत्र के प्रारम्भ में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शकुंतला के आकस्मिक निधन पर एक शोक प्रस्ताव रखा गया और श्रद्धांजली दी गई। सम्मेलन में संगठन की जिला सचिव कमला राणा द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जो प्रतिनिधियों द्वारा बहस के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। सम्मेलन ने 26 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें कमला राणा जिला अध्यक्ष , ललिता देवी सचिव संतोष नेगी कोषाध्यक्ष चुनी गई। सम्मेलन को किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष राजाराम सेमवाल, संगठन की सुशीला सेमवाल, दशमी मैठानी, शैला काला, संतोष नेगी, नौजवान सभा के नरेंद्र रावत किसान सभा गंगाधर नौटियाल, जनवादी महिला समिति की उमा नौटियाल, सीटू के पुरषोत्तम पुरी आदि ने संबोधित किया। सम्मेलन का संचान वीरेंद्र गोस्वामी ने किया।

मध्य प्रदेश- आइसीडीएस संयुक्त कन्वेंशन

आइसीडीएस के लाभार्थी पांच संगठनों – मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी एकता यूनियन, मध्य प्रदेश सीआइटीयू राज्य कमेटी, अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और आदीवासी एकता महासभा ने मिलकर आइसीडीएस के निजीकरण किए जाने का विरोध किया। इन संगठनों ने 5 अप्रैल 2009 को जबलपुर में 'आइसीडीएस बचाओ' पर एक राज्य स्तरीय संयुक्त कन्वेंशन का आयोजन किया जिसमें इन संगठनों के लगभग 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आईसीडीएस से मुख्य रूप से गरीब तबकों के बच्चों, गर्भवती माताओं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं लाभान्वित होती हैं। कन्वेंशन की अध्यक्षता मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी एकता यूनियन की अध्यक्ष विद्या खंगार, मध्यप्रदेश सीआइटीयू राज्य कमेटी के उपाध्यक्ष ए टी पद्मनाभन, आदीवासी एकता महासभा से बिश्राम कोल, अखिल भारतीय किसान सभा से जगन्नाथ पटेल और एडवा की शैला शुक्ला सहित एक अध्यक्ष मंडल ने किया। स्वागत समिति की ओर से जबलपुर जिला कमेटी के महासचिव जी एन कुमार ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

कन्वेंशन का उद्घाटन अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन की महासचिव हेमलता ने किया। हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चो, के विकास को अनदेखा करने के लिए उन्होंने यूपीए और एनडीए दोनों ही सरकारों की निंदा की। उन्होंने कहा कि एनसीएमपी में किए गए वादों को पूरा करने की बजाय यूपीए सरकार आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण करने के लिए र्प्याप्त आर्थिक आबंटन भी नही कर रही है। और अब विश्व बैंक के आदेशानुसार बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे आइसीडीएस का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।

सार्वजनिक निजी भागीदारी और विकेंद्रीकरण के ज़रिए आंगनवाड़ी केंद्रों को पंचायतों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों इत्यादी को सौपा जा रहा है। उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार सरकार विश्व बैंक की सहमति से आइसीडीएस का पुर्नगठन करने के लिए 'आइसीडीएस रिफॉर्मस् प्रोजैक्ट – 4' को लागू कर रही है, जबकि एग्रीमेंट करने से पूर्व देश के किसी लाभार्थी संगठनों या आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठनों से कोई विचार विमर्श नही किया गया। इस प्रोजैक्ट को देशभर में पहलकदमी के तौर पर आठ राज्यों में लागू किया जाएगा। सरकार अपने उत्तरदायित्व से अपना हाथ खीच रही है जिसका बच्चों के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

मध्य प्रदेश जनवादी महिला समिति की अध्यक्षा संध्या शैली ने घोषणापत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा भुखमरी वाला देश बन गया है जिसमें मध्य प्रदेश 'अत्यधिक खतरनाक' स्थिति में है, क्योंकि यहा लगभग 60 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। परन्तु आधे से भी अधिक बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों के तहत कवर किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र मांग करता है कि तुरन्त आइसीडीएस का सर्वव्यापीकरण किया जाए और इसके किसी भी प्रकार के निजीकरण का विरोध किया जाए। घोषणापत्र में यह भी मांग की गई कि आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को नियमित किया जाए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराए जाएं।

मध्यप्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी एकता यूनियन की महासचिव किशोरी वर्मा ने घोषणापत्र के समर्थन में वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जहां भी आंगनवाड़ी केंद्रों को पंचायतों को सौंपा जा रहा है वहां कुपोषण और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। अखिल भारतीय किसान सभा, इंशोरेंस एंपलॉयज़ यूनियन, बीएसएनएल एंपलॉएज़ यूनियन एवं डिफेंस एंपलॉएज़ यूनियन ने भी घोषणा पत्र का समर्थन किया।

मध्य प्रदेश सीआटीयू राज्य कमेटी के महासचिव प्रमोद प्रधान ने जनता को कल्याण लाभ उपलब्ध कराने से अपना हाथ खींचने के सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने बताया कि कांगेस और भाजपा दोनों ही नव उदारवादी भूमंडलीकरण की नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। इन नीतियों के कारण गरीब और भी गरीब होता जा रहा है और कुछ लोग बहुत ही अधिक अमीर। उन्होंने प्रतिनिधियों का आहवान किया कि आगामी संसदीय चुनावों के अवसर पर मजदूर विरोधी और गरीब विरोधी नीतियों का अनुसरण करने वाली पार्टियों – कांगेस और भाजपा दोनों को ही शिकस्त दें।

कन्वेंशन में घोषणापत्र को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया और निर्णय लिया गया कि 30 जून के अंत से पहले ऐसी ही कन्वेंशनें जिला और परियोजना स्तर पर आयोजित की जाएंगी जिसके साथ राज्यभर में 'आइसीडीएस बचाओ' पर जिला स्तरीय संयुक्त धरने, प्रदर्शन और रैली इत्यादी आयोजित किए जाऐंगे जिसका समापन भोपाल में एक विशाल राज्य स्तरीय संयुक्त रैली के रूप में किया जाएगा।

(रिपोर्टः किशोरी वर्मा, मध्य प्रदेश)

दिल्ली आंगनवाड़ी कर्मचारियों का धरना

दिल्ली में शिशु मृत्यु दर पिछले दो सालों में दो गुणा बढ़ गई है। कुपोषण का स्तर भी बढ़ गया है। यहां माइग्रेशन जैसे अन्य तथ्य भी इसका कारण हैं, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आईसीडीएस को और भी सक्रिय बनाया जाए, परन्तु सरकार तो दिल्ली में अधिक आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की बजाय सड़कों और पुलों के निर्माण में ही व्यस्त है और आईसीडीएस का निजीकरण करने पर तुली हुई है। दुर्भाग्यवश, इस योजना को चलाने वाले असली कार्यकर्ता आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स की इस योजना के नीति संबंधी विमर्शों में कोई भूमिका नही होती।

22 जून 2009 को अम्बेडकर स्टेडियम, आइटीओ, दिल्ली में लगभग 100 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने दिल्ली आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स यूनियन (सीटू) के झंडे तले एकत्र होकर जोरदार धरना दिया।

धरने का अध्यक्षता व संचालन दिल्ली आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स यूनियन की महासचिव कमला और सह सचिव रूपा ने किया। धरने का उद्घाटन हरियाणा राज्य आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन की महासचिव संतोष रावल ने किया। उन्होनें अपने उद्घाटन भाषण में हरियाणा में उनके द्वारा अंदोलन और उपलब्धियों का वर्णन किया। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन की कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु, आंगनवाड़ी मुलाज़िम यूनियन पंजाब की अध्यक्ष ऊषा रानी ने धरने को संबोधित किया और अलग– अलग परियोजनाओं से आई हुई आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भी अपनी समस्याओं का बखान किया।

पुलिस प्रशासन ने मंत्री से मुलाकात करवाने में काफी टालमटोल की परन्तु आंगनवाड़ी कर्मचारियों की वहां से न उठने की जिद् और रास्ता जाम करने की चेतावनी के बाद मंत्री से सायं 6.30 बजे मुलाकात का समय तय हुआ। इस वायदे के बाद ही धरने की समाप्ति की घोषणा की गई।

ए आर सिंधु, कमला, रूपा, वेदवती, शमा, सरोज सहित एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मुलाकात की और अपनी मांगें रखीं। उनकी मुख मांगें थीं – (1) आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स को न्यूनतम वेतन दिया जाए; (2) पिछला बकाया मानदेय और सेंटर का किराया तुरंत भुगतान किया जाए। मानदेय, डीए, किराया और अन्य लाभों का भुगतान नियमित रूप से, 1 से 7 तारीख के भीतर पे स्लिप के साथ किया जाए; (3) अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त वेतन दिया जाए; (4) सुपरवाइज़र पद के लिए आयु सीमा समाप्त की जाए; (5) आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए विशेष पेंशन व सामाजिक सुरक्षा स्कीम लागू की जाए; आंगनवाड़ी वर्कर्स को रू एक लाख एवं हैल्पर्स को रू 50 हजार एक्स ग्रेशिया दिया जाए तब तक रिटायर किए जाने वाले आंगनवाड़ी कर्मचारियों को राज्य वृद्धावस्था पेंशन विभाग द्वारा तुरन्त दी जाए; (6) निजीकरण पर रोक लगाई जाए; सभी आंगनवाड़ी केंद्र सरकार द्वारा ही चलाए जाएं। बाकी 60 केंद्र भी एनजीओज़ से वापिस सरकारी विभाग में लिए जाएं। एनजीओ से सरकारी विभाग में आने वाले केंद्रों का किराया और बकाया मानदेय तुरन्त भुगतान किया जाए; और एनजीओज़ द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच की जाए; (7) पोषाहार अच्छी गुणवत्ता और उचित मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। पोषाहार हैल्पर द्वारा केंद्र में ही बनाया जाए और पोषाहार पकाने के सभी साधन उपलब्ध कराए जाएं;(8) आंगनवाड़ी कर्मचारियों को 15 दिन की गर्मियों की छुट्टी दी जाएं।

मंत्री श्रीमती किरण वालिया ने मानदेय बढ़ोतरी के लिए वित्त मंत्रालय से सिफारिश करने का वायदा किया। एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम जो अभी प्रक्रिया में है, को लागू करने का वायदा किया। मंत्री ने बाकी समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया। जिन वर्कर्स को अभी रिटायर किया गया है उन्हें विभाग द्वारा राज्य वृद्धावस्था पेंशन दिलाने की कार्यवाही तुरन्त किए जाने का आश्वासन दिया। परन्तु केवल कोरे आश्वासनों के अलावा प्रशासन से कुछ नही मिलता इसलिए यूनियन द्वारा संगठन को मजबूत करने और संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया गया।

(रिपोर्ट: कमला, अन्जू, दिल्ली)

पंजाब आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संघर्ष की जीत

चण्डीगढ़ में आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन पंजाब को उस समय भारी सफलता हासिल हुई जब राज्य के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के आंदोलन के आगे झुकते हुए तीन जिलों में आंगनवाड़ी केन्द्रों को गैर सरकारी संगठनों के हवाले करने और उनके लिए बना बनाया राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 33 करोड़ रुपए के पायलट प्राजैक्ट को रद्द करने का आदेश जारी किया।

याद रहे, राज्य सरकार ने तीन जिलों अमृतसर, जालन्धर और गुरदासपुर के आंगनवाड़ी केन्द्रों को गैर सरकारी संगठनों के हवाले करने के लिए चुना था। इसके साथ ही उनमें बना बनाया खाना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 33 करोड़ रुपए का एक पायलट प्राजैक्ट बनाया था। आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन ने इसका जोरदार विरोध करते हुए विभागीय मंत्री और सचिव को एक नोटिस भेज कर 2 जून तक इस प्राजैक्ट को रद्द करने के लिए कहा गया। उस दिन आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ओर से साढ़े बारह बजे से लेकर शाम पांच बजे तक निदेशक आइसीडीएस के कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान यूनियन के एक प्रतिनिधि मण्डल की विभाग के सचिव के साथ भी बैठक हुई। किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। एक सप्ताह की अवधि समाप्त हो जाने के बाद एक यूनियन नेताओं ने मुख्य मंत्री तथा विभागीय मंत्री के साथ बातचीत की जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस पर यूनियन की ओर से 10 जून, 2009 को रैली की गई जिसमें 700 से अधिक आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया।

यूनियन की अध्यक्ष ऊषा रानी तथा महासचिव हरजीत कौर के अलावा सीआइटीयू की पंजाब राज्य समिति के महासचिव रघुनाथ सिंह इत्यादि नेताओं ने रैली को सम्बोधित किया। रैली के बाद मुख्य मंत्री द्वारा यूनियन नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया गया। इसी बातचीत के दौरान मुख्य मंत्री की ओर से उक्त पायलट प्राजैक्ट को रद्द करने के आदेश जारी किए गए।

(रिपोर्टः ऊषा रानी, पंजाब)

आंगनबाड़ी केन्द्रों के पोषक आहार पर व्यापारिक घरानों की नजर

महिला एवम् बाल विकास मंत्रालय ने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 3–6 आयु वर्ग के 8 करोड़ बच्चों को माइकों न्यूट्रिएन्ट युक्त तैयार भोजन (रेडी टू ईट फूड) अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पहले भी इस प्रकार के भोजन देने की वकालत करता रहा है। पोषाहार की खराब गुणवत्ता तथ वितरण की अनियमितताओं का बहाना लेकर पहले से तैयार भोजन वितरण के विचार को मजबूती के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि रेडी टू ईट फूड अर्थात् पोषाहार के क्षेत्र में निजी कम्पनियों, तथा बहुराष्ट्रीय निगमों की पहुंच को बढ़ाया जा रहा है।

भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। प्रति वर्ष 25 लाख बच्चों की मृत्यु होती है जिनमें से 55 प्रतिशत की मृत्यु का कारण कुपोषण होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तीन वर्ष से कम उम्र के अस्सी प्रतिशत बच्चे तथा साठ प्रतिशत महिलायें खून की कमी (एनीमिया) का शिकार है, 46 प्रतिशत बच्चों का वजन औसत से कम है, 38 प्रतिशत बच्चे नाटे है, तथा 1000 में से 58 बच्चे अपना पहला जन्म दिन भी नही मना पाते। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार को आंगनबाड़ी परियोजना के सार्वत्रीकरण करने का निर्देश दिया है ताकि 6 वर्ष की आयु का देश का प्रत्येक बच्चा आंगनबाड़ी केन्द्र में जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि बच्चों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ताजा पका गर्म खाना दिया जाये। पोषण व आहार विशेषज्ञ, बाल अधिकार कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिकाओं के संगठन, एवम् महिला संगठन सभी इस बात पर एकमत हैं कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ताजा पका गर्म भोजन दिया जाये। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का भी कहना है कि शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व ताजी सब्जियों तथा फलों में पाये जाते है। पैकेट बन्द भोजन के समर्थक तर्क दे रहे है कि आंगनबाड़ी केन्द्र सिर्फ पूरक आहार देते है, व स्थानीय भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व नही होते है, ये दोनों ही तर्क बेबुनियाद है।

दरअसल पैकेट बंद भोजन तथा बेबी फूड व बिस्कुट लॉबी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले 06 वर्ष की उम्र तक के 16 करोड़ बच्चों को एक बड़े बाजार के रूप में देख रही है। बड़े कारपोरेट व्यापारिक घराने व बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत के गरीब व कुपोषित बच्चों के बल पर मोटा मुनाफा कमाने की योजना बना रहे है।

(रिपोर्टः वीना गुप्ता, उत्तर प्रदेश)

विश्व आर्थिक संकट और बढ़ते हमले

सीताराम येचुरी

आस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर लगातार हमले जारी हैं। स्वाभाविक रूप से इन हमलों पर भारत में भारी विक्षोभ सामने आया है। आस्ट्रेलिया में और खासतौर पर मेलबोर्न में जो लोग नस्लवादी हमलों के शिकार हुए हैं, हमारी उनके साथ पूरी हमदर्दी है। आस्ट्रलिया के प्रधानमंत्री और सरकार की ओर से उपयुक्त आश्वासन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन नस्लवादी हमले उसके बाद भी जारी ही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जनतांत्रिक नागरिक समाज की इच्छा की जीत होगी।

आस्ट्रेलिया खुद को बहुत ही आक्रामक तरीके से, शिक्षा के एक आकर्षक ठिकाने के रूप में पेश करता आ रहा है। इसी का नतीजा है कि **आस्ट्रेलिया में इस समय करीब एक लाख भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं, जो वहां के छात्र समुदाय का करीब 18 फीसद हिस्सा है। आस्ट्रेलिया के सकल घरेलु उत्पाद में हर साल करीब 7,500 करोड़ या 2 अरब आस्ट्रेलियाई डॉलर का योगदान उनके माध्यम से ही हो रहा है।** बाहर से आने वालों के खिलाफ नस्लवादी विक्षोभ आम बात है, हमारे यहां इसके अपने ही नमुने है, मिसाल के तौर पर वह सब जो हमने कुछ ही अर्सा पहले मुम्बई में देखा था। इससे पहले पूर्वोत्तर में भी हमने ऐसी ही अभिव्यक्तियां देखीं थीं। मुहावरे का सहारा लें तो रोटी में अपने हिस्से को लेकर सामने आने वाली होड़ को साध ारणतः 'लोकल लोगों' के प्रवासियों पर गुस्सा निकालने का मुख्य कारण माना जाता है। कुछ ने इससे काफी राजनैतिक फायदा भी उठाया है। इसका उदाहरण है शिव सेना, जो अपने चुनावी निशान के तौर पर नस्लवाद का सहारा लेती है।

आस्ट्रेलिया में नस्लवादी ज्यादतियों को तो 1990 के दशक के आरम्भ में हॉलीवुड फिल्मों तक में दर्ज किया गया था। दूसरी ओर आस्ट्रेलिया में 2004 में एक उग्र नस्लवादी अभियान छेड़ा गया, जिसका नारा था 'आस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलियाई छात्रों के लिए।' वहां पिछले बारह महीनों में ही भारतीय छात्रें पर पूरे 70 हमले हुए हैं। इन हमलों के वीभत्स विवरण यहां दोहराने की जरूरत नही होनी चाहिए। बहरहाल, विश्व मंदी के मौजूदा संदर्भ में इस तरह के हमलों को सिर्फ नस्लवाद की अभिव्यक्तियों के रूप में देखना, पेड़ों के चक्कर में जंगल को ही अनदेखा करना होगा। नस्लवादी हमले, एक और गहरी बीमारी का संकेत करते हैं। **जनवरी 2008 से जनवरी 2009 के बीच आस्ट्रेलिया के सकल घरेलु उत्पाद की वृद्धि दर 4.2 फीसद से गिरकर 0.3 फीसद रह गई है।** आखिरी तिमाही में कंपनी मुनाफों में 7.2 फीसद की गिरावट हुई है। व्यापार निवेशों में करीब 9 फीसद की रिकार्ड गिरावट हुई है। इसके ऊपर से इस साल आस्ट्रेलिया को बहुत बुरे सूखे का सामना करना पड़ा है। इस सब के चलते **बेरोजगारी के दर, जो 2008 की फरवरी में 3.9 फीसद थी, 2009 के अप्रैल तक बढ़कर 5.4 फीसद हो चुकी थी।** आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पहली बार ऐलान किया है कि अर्थव्यवस्था, मंदी के दौर में चली गई है। हालांकि आस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी की सरकार ने कम आय वर्ग के परिवारों के बीच सीधे 9 अरब 90 करोड़ आस्ट्रेलियाई डॉलर बांटने की प्रक्रिया शुरू की है, साफ है कि आस्ट्रेलियाई जनता को आजीविका की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

ऑटोमोबाइल क्षेत्र की एक सदी पुरानी अगुआ कम्पनी जनरल मोटर्स ने अपने दीवाले का ऐलान कर दिया है। यह इसी का संकेत करता है कि विश्व मंदी और गहरी हो रही है। विश्व बैंक ने घोषणा की है कि 2009 में पहली बार 'विश्व उत्पाद के अब तक के रिकॉर्ड की पहली गिरावट' होने जा रही है। अलग अलग देशों की सरकारें इस मंदी से किस तरह निपटती हैं।, उससे ही उन सामाजिक टकरावों की प्रकृति निर्धारित होने जा रही है, जो जनता के विभिन्न तबकों के बीच, लगातार छोटी होती रोटी के टुकड़ों के लिए छीन झपट के क्रम में सामने आने वाले हैं। नैगम कंपनियों को दिए जाने वाले बेल आउट पैकेज चाहे कितने ही जरूरी क्यों न हों, उनके साथ ही साथ सार्वजनिक निवेश की तगड़ी खुराकें देनी होंगी। इससे रोजगार भी पैदा होगा और महत्वपूर्ण घरेलु मांग भी पैदा होगी। यह घरेलु मांग ही है जो अर्थव्यवस्था को अत्यावश्यक उत्प्रेरणा मुहैया कराएगी। मौजूदा संकट से निपटने का रास्ता, जनता को मुनाफों के ऊपर रखने पर आधारित होना चाहिए न कि मुनाफों को जनता के ऊपर रखने पर।

बहरहाल इसके लिए इस सच्चाई को पहचानना ज़रूरी है कि हाल के दशकों में नव उदारवादी विश्वीकरण का जो रास्ता सामने आया था अपने अंत पर पहुंच गया है। बहरहाल नैगम भात अपने विश्व आकाओं के बैठ जाने तथा दीवाले निकल जाने के बावजूद, नव उदारवादी मानसिकता से ही चिपका हुआ है। वह अब और भी तेजी से सुधार लागू किए जाने की मांग कर रहा है क्योंकि यूपीए सरकार को अब वामपंथ के समर्थन की जरूरत नही रह गई है। बेशक वामपंथ ने पिछली सरकार को अंधाधुंध वित्तीय सुधार करने से रोका था, जैसे पेंशन फंडों का निजीकरण, बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाना, बैंकिंग सुधारों के ज़रिए विदेशी बैंकों को भारतीय निजी बैंकों का करीब करीब अधिग्रहण ही कर लेने की इजाज़त देना, आदि। लेकिन इसी ने तो भारतीय अर्थव्यवस्था को और भयानक तबाही का शिकार होने से बचाया है।

इतिहास से सीखना भी ज़रूरी है। 1930 के दशक में महामंदी से

तो तबाही हुई थी, उसका अलग अलग पूंजीवादी देशों ने, अलग अलग तरीकों से मुकाबला किया था। इन्हीं में से एक रास्ता फासीवाद के उभार के रास्ते पर ले गया था।

ज्यार्जी दिमित्रोव ने कम्युनिस्ट इंटरनैशनल की 1935 में संपन्न हुई सातवीं कांग्रेस में अपने भाषण में रेखांकित किया था: "फासीवाद हर देश की विशेषताओं के हिसाब से लफाजी करता है और भुखमरी, बेरोजगारी और असुरक्षा के कारण हताश हो चुके मध्य वर्ग तथा मजदूरों का एक हिस्सा, फासीवाद की सामाजिक व संकीर्ण लफाजी का शिकार हो जाता है।" दिमित्रोव ने विस्तार से बताया है कि किस तरह "फासीवाद, पुरानी पूंजीवादी पार्टियों से भाग रही निराश जनता को पूंजीपति वर्ग के सबसे प्रतिक्रियावादी हलकों के हित में, बीच में ही उचक लेता है। महामंदी से उत्पन्न संकट से जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा हुई, उसने ही यह विशाल फौज जुटाई थी, जिसे अपनी फासीवादी लफाजी से गोलबंद कर हिटलर सत्ता में पहुंचा था। नाजीवाद में नस्लवाद की भी सर्वोच्च अभिव्यक्ति हो रही थी, आर्य सर्वोच्चता के दावे के रूप में। यातना शिविरों और दूसरे विश्व युद्ध के रूप में इसके जो भयानक परिणाम सामने आए, उनके असर से मानवता अब भी पूरी तरह से उबर नही पाई है। फांसीवादी युद्ध मशीन का खड़ा किया जाना, शायद उस जमाने का सबसे तगड़ा आर्थिक उत्प्रेरण था।

ज़ाहिर है कि कोई भी आधुनिक जनतांत्रिक सभ्य समाज, अपने लिए यह रास्ता नही चुन सकता है। उल्टे यह सुनिश्चित करने के लिए जनता का दबवा डाला जाना चाहिए कि पूंजीवादी आर्थिक मंदी का मुकाबला करने के इस रास्ते को मजबूती से बंद कर दिया जाए। यह तभी होगा जब जनता के दबाव के ज़रिए विभिन्न देशों की सरकारों को ऐसा रास्ता अपनाने के लिए मजबूर किया जाएगा, जहां सामाजिक व आर्थिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने तथा उन्हें मजबूत करने के लिए, एक गुणात्मक रूप से बड़ी छलांग लबाई जाएगी।

दूसरी ओर प्रशासन व अधिकरियों की निर्णायक निवारक कार्यवाहियों के ज़रिए यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि नस्लवादी ज्यादतियों जैसे भोंडी, असभ्य तथा जनतंत्रविरोधी अभिव्यक्तियों पर अंकुश लगे।

आइये स्टाक मार्केट को समझें...

एक बार की बात हैं, भारत के एक गाँव में बन्दर बहुत थे। अचानक एक दिन गांव में एक आदमी आया और उसने घोषणा की, "मैं बन्दर खरीदने आया हूँ। एक बन्दर का मूल्य 10 रू0 होगा जो भी मुझे एक बन्दर बेचेगा मैं उसे 10 रू0 दूंगा।" गांव वालों ने देखा कि उनके गांव में तो चारों तरफ बन्दर बहुत ज्यादा थे, अतः उन्होने बन्दर पकड़ना शुरू कर दिया उस आदमी ने 10 रू0 प्रति बन्दर की दर से 500 बन्दर, इस प्रकार कुल 5000 रू0 में बन्दर खरीद लिये।

धीरे-धीरे बन्दर कम होने लगे तो उनकी सप्लाई भी कम हो गयी। गांव वालों को भी बन्दर पकड़ने में इतनी ज्यादा मेहनत लगने लगी कि उसके सामने 10 रू0 की राशि बहुत कम लगने लगी। वे अपने खेतों में काम पर जाने लगे। अब उस आदमी ने बन्दरों का मूल्य बढ़ा दिया। उसने घोषणा की, "अब मैं 20 रू0 प्रति की दर से बन्दर खरीदुंगा।" यह सुनकर गांव वालों ने नये सिरे से प्रयास करने शुरू कर दिये। वह इस बार 200 बन्दर (4000 रू0 मूल्य के) ही खरीद पाया था कि सप्लाई और ज्यादा कम हो गयी तथा लोगों ने फिर खेतों में काम पर जाना शुरू कर दिया। उस आदमी ने अब बन्दरों का मूल्य फिर से बढ़ाकर 25रू0 कर दिया लेकिन अब तो हालत यह थी कि पकड़ना तो दूर देखने को भी बन्दर नहीं थे।

इस बार वह मात्र 40 बन्दर (1000रू0 के) ही खरीद पाया। अब तक वह आदमी 10,000 रू0 मूल्य के 740 बन्दर खरीद चुका था। (एक बन्दर का औसत मूल्य 13.50 रू0 प्रति बन्दर) अब उस आदमी ने घोषणा की कि अब 75/- रू0 प्रति बन्दर की दर से बन्दर खरीदेगा। यह घोषणा करने के बाद अचानक उसे किसी काम से शहर जाना पड़ा अतः उसने कहा कि उसका सहायक उसकी ओर से बन्दर खरीदेगा। लेकिन अब गांव में बन्दर तो थे ही नही अब उस आदमी की अनुपस्थिति में सहायक ने गांव वालों से कहा कि वह आदमी आप से 740 बन्दर खरीद चुका है। वे सब बन्दर इस पिंजरे में बन्द है। मैं आपको ये बन्दर 60 रू0 प्रति बन्दर की दर से बेच दुंगा। जब वह आदमी शहर से आयेगा, तब आप लोग 75/-रू0 प्रति बन्दर की दर से उसे बन्दर बेचकर 15/-रू0 प्रति बन्दर की दर से 11,100 रू0 का शुद्ध मुनाफा कमा लेंगे। इसके अतिरिक्ति 10,000 रू0 तो आप पहले ही कमा चुके हो। बन्दर बेचकर गांव वालों ने अब तक कमाये दस हजार रूपयों के अतिरिक्ति अपनी गाढ़ी कमाई से तन पेट काटकर की गयी बचत के रू0 निकाले तथा उस सहायक से 44,400 रू0 में 740 बन्दर खरीद लिये। अब वे उस आदमीं के शहर से लौटने का इन्तजार करने लगे ताकि वे 75/-रू0 प्रति बन्दर की दर से उन बन्दरों को बेच सकें। वे इंतजार करते रहे... लेकिन न उन्हें वह आदमी दिखायी दिया, न सहायक और न ही उनका पैसा...चारों तरफ बन्दर ही बन्दर फिर से गांव में दिखाई दे रहे थें।

(जब कम्पनियां आई.पी.ओ. लाती है तब स्टाक मार्केट में भी ऐसा ही होता है।)

वित्त मंत्री को सीआइटीयू का प्रतिवेदन

वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी के आमंत्रण पर बजट पूर्व चर्चा के लिएं सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे और महासचिव मोहम्मद अमीन ने 3 जून को उनके साथ मुलाकात की। इस अवसर पर सीआइटीयू नेताओं ने आगामी बजट के लिए अपने ठोस सुझावों पर आधारित प्रतिवेदन भी वित्त मंत्री को भेंट किया जिसमें बजट को जनोन्मुखी तथा मजदूर–हितैशी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए:

0 खाद्य एवं अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं; सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सभी जगह लागू किया जाए तथा मजबूत बनाया जाए; पेट्रोलियम उत्पादों पर करों एवं शुल्कों को युक्ति संगत बनाया जाए जैसे डीजल के उत्पाद शुल्क में उसी तरह कमी की जाए जिस तरह हवाई ईंधन (एटीएफ) के मामले में की गई है।

0 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) की गणना के आधार पर उसकी समीक्षा की जाए और उसमें दुरुस्ती के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।

0 सरकार के राजस्व आबंटन का कम से कम 25 प्रतिशत भाग सामाजिक क्षेत्र जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आवास आते हैं, के लिए रहे, इसे सुनिश्चित बनाया जाए; एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आइसीडीएस) को सार्वभौम बनाया जाए जैसा कि उच्चतम न्यायालय का निर्देश है। इस काम के लिए कम से कम 12,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया जाए जिसमें से 2500 करोड़ रुपए ठोस तौर पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों की दशा में सुधार लाने के लिए खर्च किए जाएं।

0 वार्षिक योजना खर्च में भारत के मौजूदा सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत के बराबर बढ़ोतरी की जाए (जो इस समय यह 5 प्रतिशत से भी कम है)।

0 कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए भारी सार्वजनिक निवेश किए जाएं; सरकारी खरीद की कारगर व्यवस्था के जरिए, कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी दाम सुनिश्चित किए जाएं।

0 असंगठित क्षेत्र मजदूर कानून की समीक्षा की जाए क्योंकि उसके मौजूदा स्वरूप में उसके पास कोष का प्रावधान नहीं हैं। प्रस्ताविक कानून में कोश अथवा फण्डिंग के प्रावधानों तथा सार्वजनीन कवरेज के सम्बन्ध में ट्रेड यूनियनों के सुझावों जो उन्होंने सर्वसम्मति से दिए थे, पर अमल किया जाए और इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के बराबर बजट राशि का आबंटन किया जाए।

0 मौजूदा भूमण्डलीय वित्तीय संकट के चलते हुई विशाल रोजगार क्षति को देखते हुए सरकारी विभागों, स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक उद्यमों में नयी भर्ती पर पाबंदी को समाप्त किया जाए।

0 बेल–आउट और उत्प्रेरण (स्टीमुलस) पैकेजों के साथ मजदूरों की छटनी, बैठकी (ले–ऑफ) और वेतन कटौतियों पर कड़ी रोक की षर्त जोड़ी जानी चाहिए।

0 परम्परागत उद्योगों जैसे जूट, कपड़ा, बगीचा, हथकरघा, नारियल जटा, बीड़ी, खादी व ग्रामीण उद्योगों में औद्योगिक बीमारी की समस्या तथा संकट से निपटने के लिए आवश्यक बजट आबंटन किए जाने चाहिएं।

0 हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन, फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान केबल्स, हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस लिमिटेड, एचएमटी, बर्न स्टेंडर्ड जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार केन्द्रीय उपक्रमों का पुनरुद्धार उन्हें आवश्यक बजट सहायता तथा वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से किया जाए।

0 विशेष जमा योजना (एसडीएस) के लिए ब्याज की दर बढ़ा कर कम से कम 9.5 प्रतिषत की जाए ताकि भविष्य निधि तथा लघु बचतों के लिए ब्याज दरों में 2005–06 से जो कमी की गई है, उसे पलटा जा सके; सामाजिक सुरक्षा खाते की सभी बचतों विशेष तौर पर रिटायर शुदा एवं वृद्ध हो चुके वरिष्ठ नागरिकों की अवधि पश्चात् की बचतों के मामले में कहीं ऊंची ब्याज दर अदा की जाए; कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का दायरा बढ़ा कर सभी वेतन भोगी कर्मचारियों को उसके दायरे में लाया जाए; कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआइ) के अन्तर्गत आय सीमा बढ़ा कर दस हजार रुपए प्रति मास के बराबर की जाए; भविष्य निधि और पेन्शन निधि के कोष को निजी क्षेत्र के धन्ना सेठों और तथाकथित एसैट मैनेजमैंट कम्पनियों के हवाले न किया जाए।

0 आय कर छूट की सीमा बढ़ा कर 2 लाख रुपए की जाए; कम्पनी क्वार्टर लेने पर तथा कर्मचारियों को दिए जाने वाले फ्रिंज बैनीफिट्स पर कराधान को उठाया जाए। मानक कटौती का लाभ पेन्शनरों तथा सेवा निवृत्त व्यक्तियों को भी दिया जाए।

आइफा का छठा अखिल भारतीय अधिवेशन

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन (आइफा) का छठा अखिल भारतीय अधिवेशन 9 से 12 अक्टूबर 2009 को चण्डीगढ़, पंजाब में होगा। 9 अगस्त को एक रैली एवं सार्वजनिक बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें हजारों आंगनवाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाएं पूरे पंजाब और आस पास के राज्यों जैसे हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली से भाग लेंगी। इस अधिवेशन में 23 राज्यों से आइफा के लगभग 500 प्रतिनिधि एवं कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य भाग लेंगे। सीआईटीयू के विभिन्न नेता रैली और अधिवेशन को संबोधित करेंगे। अधिवेशन 2008 की सदस्यता के आधार पर होगा और अखिल भारतीय अधिवेशन से पहले राज्य सम्मेलन की कार्यवाहियां पूरी हो जाएंगी। अधिवेशन में 'आईसीडीएस में बदलाव' जैसे कुछ मुद्दों, आंदोलन की विकास प्रक्रिया का आंकलन और संगठन की स्थिति पर विचार किया जाएगा।

बजट में बाल कल्याण की पूर्ण उपेक्षा किए जाने की सीटू ने निंदा की

वर्ष 2009–10 के केंद्रीय बजट में बाल कल्याण और विकास के मामले में ग्यारहवीं योजना के लक्ष्य की पूरी तरह अनदेखी की गई है। इस बारे में सीटू महासचिव मोहम्मद अमीन ने 8 जुलाई को नई दिल्ली में बयान जारी कर रेखांकित किया कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने अपने भाषण में कहा है कि उनकी सरकार एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) के सार्वभौमिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और वर्ष 2012 तक आईसीडीएस के तहत सभी सेवाओं का छः वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों तक विस्तार करेगी। लेकिन आम आदमी के मामले की ही तरह बच्चों के मामले में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की घोषित चिंताएं फंडों के आवंटन में प्रतिबिम्बित नही हुई हैं।

आईसीडीएस के प्रबंधन में आने के पात्र छः वर्ष से कम उम्र के सोलह करोड़ बच्चों में से आधे बच्चों को ही आज वह कवर करता है। यह अनुमान लगाया गया है कि देश में सभी सोलह करोड़ पात्र बच्चों को कवर करने के लिए करीब 17 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों की जरूरत होगी, जबकि सिर्फ 13.56 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी गई है, लेकिन इनमें से भी सिर्फ 10 लाख ही काम कर रहे है, क्योंकि सरकार ने आवश्यक फंडों का आबंटन नहीं किया है।

इस बजट में आईसीडीएस के लिए आबंटन में 405 रु की मामूली बढ़ोतरी करके उसे 2008–09 के 6300 करोड़ रु. से 6705 रु कर दिया गया है। जहां एक ओर योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि ग्यारहवीं योजना अवधि में गुणवत्ता के साथ आईसीडीएस के सावभौमिकरण के लिए 45,000 करोड़ रु की जरूरत होगी, वहीं दूसरी ओर यूपीए सरकार द्वारा मामूली राशि मुहैया कराए जाने से आईसीडीएस के तहत सभी पात्र बच्चों को अगले बीस साल बाद भी कवर कर पाना मुमकिन नही होगा।

सरकार ने लाखों आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को सामाजिक सुरक्षा लाभ मुहैया कराने के लिए भी कोई आबंटन नहीं किया है, जो 25–30 वर्षों से ज्यादा काम कर रही है, और उन्हें 58–60 वर्श की उम्र में जबरन सेवा से हटाया जा रहा है।

बाल विकास और भविष्य के मानव संसाधनों के विकास में आईसीडीएस के महत्व को ध्यान में रखते हुए सीटू ने आईसीडीएस के लिए मामूली आबंटन किए जाने की निंदा की है। इसके साथ ही सीटू ने मांग भी की है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मुहैया कराने के लिए पर्याप्त वित्तिय आबंटन किया जाए।

के हेमलता द्वारा, अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू) के लिए, ए–13, राउस ऐवेन्यू, नई दिल्ली से संपादित
एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21, झिलमिल इंडस्टीयल एरिया, जी टी रोड, शाहदरा दिल्ली–95 से मुद्रित